

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1879

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

महानगरों में पुलिस द्वारा आपसी तालमेल से गश्त लगाया जाना

1879. श्रीमती अम्बिका सोनी:

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महिलाओं, दलितों के प्रति अपराधों और चोरी, संधमारी और हत्या की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए गश्त लगाने और समय पर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महानगरों में पुलिस द्वारा आपसी तालमेल से गश्त लगाये जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार एक मूर्त पुलिस नेटवर्क बनाने के लिए इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकारों को कोई विशेष निधि प्रदान करेगी; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)

(क) और (ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत “पुलिस” और “लोक व्यवस्था” राज्य के विषय हैं और इस प्रकार अपराध की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण, जांच और अभियोजन की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

(ग): महानगरीय पुलिस व्यवस्था (एम.सी.पी.) के घटक के अंतर्गत 6 शहरों (अहमदाबाद, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और बंगलुरु) को प्रारंभिक तौर पर कुल 184.527 करोड़ रु. प्रदान किए गए हैं। एम.पी.सी. के तकनीकी घटकों में सी.सी.टी.वी. सर्विलेंस, कमांड कंट्रोल सेंटर (सी.सी.सी), डायल 100 सिस्टम, फ्यूजन सेंटर/डाटा सेंटर, हाईवे पेट्रोल कार और एरियल सर्विलेंस (यू.ए.वी./हेलिकॉप्टर) शामिल हैं। गैर तकनीकी घटक में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, शैक्षणिक प्रणाली के माध्यम से पहुंच, सुलभ कौशल संबंधी प्रशिक्षण, पुलिस कार्मिकों और महिला पुलिस के दृष्टिकोण में परिवर्तन शामिल है।

-----